भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 28

जिसका उत्तर 29 नवम्बर, 2021 को दिया जाना है

अवैध तरीके से कोयला उठाया जाना

28. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में कोयला खदानों में अवैध तरीके से कोयला उठाए जाने की घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान रिर्पोट की गई ऐसी कुल घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध तरीके से कोयला उठाने की इन घटनाओं में वंचित गरीब परिवारों के कई नाबालिग बच्चे शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं में शामिल ऐसे नाबालिगों की संख्या कितनी है और विगत पांच वर्षों में कोयला उठाने के दौरान मरने वाले नाबालिगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या- क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोयले के अवैध खनन की सूचना मुख्य रूप से परित्यक्त खानों, खानों से दूर/एकांत स्थानों पर स्थित उथले कोयला सीमों एवं व्यापक क्षेत्र में फैले स्थानों से प्राप्त होती है। यह कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्या है जो कि राज्य का विषय है, अत: कोयले के अवैध खनन को रोकने/ इस पर नियंत्रण करने हेतु आवश्यक निवारक कार्रवाई करना मुख्य रूप से राज्य/जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए नियम तैयार करने की शक्ति प्रदान करती है।

कोल इंडिया लिमिटेड कोयला उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व सभी सांविधिक मंजूरियां/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। कोयला उत्पादन के दौरान, विभिन्न कार्यकलापों के लिए विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) : कोयले का अवैध खनन चोरी छिपे और गुप्त रूप से किया जाता है। जब कभी भी कोयला कंपनियों को कोयले के अवैध खनन की कोई सूचना मिलती है तो प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयले के अवैध खनन के मामलों में दर्ज कराई गईं प्राथमिकी का कंपनी-वार और राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(अनंतिम)

कंपनी का नाम	**राज्य**	**दर्ज कराई गई एफआईआर**				
		2020-21	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**
ईसीएल	प.बंगाल	12	224	184	72	8
	झारखंड	1	18	64	12	8
	उप-योग	**13**	**242**	**248**	**84**	**16**
बीसीसीएल	झारखंड	0	0	0	0	0
	प.बंगाल	0	0	0	0	0
	उप-योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सीसीएल	**झारखंड**	**1**	**0**	**7**	**3**	**0**
एनसीएल	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
	उप-योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
	उप-योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
	उप-योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
एमसीएल	**ओडिशा**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
एनईसी	**असम**	**3**	**1**	**8**	**7**	**0**
कोल इंडिया लिमिटेड		**17**	**243**	**263**	**94**	**16**

(ग) : अवैध खनन प्रमुख रूप से पूर्वी क्षेत्र में और मुख्यत: झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में होता है क्योंकि खान क्षेत्र यहां की भौगोलिक दशाओं के कारण मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं।

(घ) और (ड.) : अवैध रूप से कोयला उठाने की घटनाएं कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या है जो कि राज्य का विषय है, अत: आवश्यक निवारक कार्रवाई करना मुख्य रूप से राज्य/जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****